6/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी अनु.1
TDR पचपदरा से मौका रिपोर्ट के
इन्तजार हेतु दिनांक 11/6/19
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

11/6/19 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O.साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 17/6/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

17/6/19 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O.साहब तहसीलदार पचपदरा
आज भ्रमण पर होने से पत्रावली से मौका फर्द
दिनांक 27/6/19 को पेश हो। रिपोर्ट प्राप्त।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

27/6/19 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O.साहब
आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
दिनांक 17/7/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

17/7/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी
अनु.1 प्रार्थी वकील की एक पक्षीय
बहस को सुना गया। तहसीलदार
पचपदरा से मौका फर्द रिपोर्ट पूर्व
में प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली
वास्ते आदेश दिनांक 23/7/19
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

23/7/19 प्रार्थी वकील उपस्थित।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। आदेश अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 820/2018

प्रार्थीगण :–

1 भैराराम पुत्र उमेदाराम
2 भीयाराम पुत्र उमेदाराम
3 चुतराराम पुत्र उमेदारामजी सभी जाति जाट निवासी निम्बली तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. दूधाराम पुत्र कुम्भाराम
2. भंवरलाल पुत्र नैनाराम जाट निवासी बडला
3. सताराम पुत्र नैनाराम
4. राऊराम पुत्र गैनाराम
5. प्रभुराम पुत्र नैनाराम
6. खेतुदेवी पत्नि रामाराम
7. गुणेशाराम पुत्र रामाराम
8. खेराजराम पुत्र रामाराम
9. चुतराराम पुत्र सोनाराम
10. गेनाराम पुत्र हेमाराम
11. जुगताराम पुत्र गोमाराम
12. वालाराम पुत्र गोमाराम
13. हडमानराम पुत्र गोमाराम जाति जाट
14. अणसीदेवी पत्नि धर्माराम
15. भंवराराम पुत्र धर्माराम
16. रूपाराम पुत्र धर्माराम
17. मूलाराम पुत्र धर्माराम जाति नाई निवासीयान निम्ब्ली पटवार हल्का दूधवा,तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0</u>
<u>बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :–

1. श्री चुनाराम प्रार्थीगण वकील

<u>'आदेश'</u>

दिनांक :–23.7.2019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा के ख0 न0 380/264 रकबा 154.05 बीघा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

[illegible] बा0सो0 कुल खसरा 01 रकबा 154.05 बीघा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर मे आयी हुई है। ।विप्रार्थीगण सख्या –1 ता 17 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 17 बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 29.1.2018 को तलब किया गया। विप्रार्थीगण को सम्मन बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित अतः उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कि जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय की बहस को सुना गया। विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक दूधवा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(एसडीओ) पचपदरा
(S.D.O.)

Scanned by CamScanner